निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्तिसिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 27/2018 प्रा. पत्र **निर्णय दिनांक :– 12.12.2019**

अनवान

1. श्री लक्ष्मण लाल पिता खेमराज जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ
2. श्री रोशन लाल पिता खेमराज जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ़
3. श्री विरेन्द्र कुमार पिता खेमराज जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ

–––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवाराम पिता नेताराम जी जाति सालवी उम्र बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ़
2. श्री रामलाल पिता सिंगा जी जाति सालवी उम्र बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ
3. चुन्नीलाल पिता चतराराम जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी हवाला तहसील देवगढ

––––विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे की जमीन मौजा कामला पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ में स्थित होकर आराजी नं0 794/1 रकबा 0.04 बीघा, आराजी सं0 797/1 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नं0 815 रकबा 0.08 बीघा, आराजी नं0 816 रकबा 1.16 बीघा, आराजी नं0 828/1 रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं0 829 रकबा 0.11 बीघा, आराजी नं0 830 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 07 कुल रकबा 4.12 बीघा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षी जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा के पडौसी हे जो हर समय सीमा सम्बन्धि विवाद करते रहते है। कभी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा की पाली को हाक देते है। कभी घास काट लेते है तथा फसल बोहते समय भी विपक्षी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा सम्बन्धी विंवाद करते रहते है। इस समस्या का समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हो सकता है। अतः प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी को सम्मन तामिल हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्ववान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी प्रार्थीगण की जमीन को हाक

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

देते है। प्रार्थीगण की जमीन में से घास काट लेते है तथा हर समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण उनकी जमीन का उपयोग–उपभोग एवं का त वगैरह भान्ति पूर्वक नही कर पा रहा है यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का समाधान हमेशा–हमेशा के लिये हो जायेगा और प्रार्थीगण उनकी जमीन का भान्ति पूर्वक उपयोग–उपभाग एवं का त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण की उपर्युक्त वर्णित आराजियात के पत्थरगढी के आदे ा प्रदान कराये जावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी, एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तवेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी, ग्राम खाखरडा सम्वत् 2071 से 2074 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उनके खाते की भूमि की पत्थगढी करा सकते है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो मौजा कामला पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ में स्थित होकर आराजी नं0 794/1 रकबा 0.04 बीघा, आराजी सं0 797/1 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नं0 815 रकबा 0.08 बीघा, आराजी नं0 816 रकबा 1.16 बीघा, आराजी नं0 828/1 रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं0 829 रकबा 0.11 बीघा, आराजी नं0 830 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 07 कुल रकबा 4.12 बीघा है।की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकरान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी करवा कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़